



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 414 / अका. / वि.प. / बैठक / 2022,

बिलासपुर, दिनांक 10 / 06 / 2022

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 38 वीं नियमित बैठक दिनांक 10/06/2022, दिन शुक्रवार अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. प्रो. आर.पी. दास — सदस्य
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. संचालक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)
5. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. डॉ. बीना सिंह, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
9. डॉ. अनिता सिंह, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

892 &

10. डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
11. डॉ. पुष्कर दुबे, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
12. डॉ. इंदु अनंत, — सचिव
कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 36 वीं (नियमित) एवं 37 वीं (एजेण्डा बाय सर्कुलेशन) बैठक के कार्यवाही विवरण एवम् पालन प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को किये जाने हेतु यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 के Part-A-1(h) सम्मिलित में किये जाने पर विचार।

निर्णय – "Part-A 1 (h): Pursuing Two Programmes At A Time: Guidelines for Pursuing two academic programmes simultaneously notified by the UGC from time to time will be applicable." को अंगीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 – यू.जी.सी. द्वारा जारी एम.फिल./पी.-एच. डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया द्वितीय संशोधन विनियम 2018 को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 Part B में सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय –

1. अध्यादेश में M.Phil को विलोपित किया जाए।
2. Part B की कंडिका 4 के क्रमांक III एवं IV पर यथाप्रस्तावित सम्मिलित किया जाए।
3. 4.B (iv) Ratio of Entrance Qualified and exempted category will be 40%:60% subject to guideline issued by UGC in this regard from time to time. पर सम्मिलित किया जाय।

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर Multiple Exit एवं Multiple Entry नियमों को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में अध्यादेश में सम्मिलित करने पर विचार।


निर्णय – अनुमोदित किया गया तथा यह भी जोड़ा जाय की "Provisions will be applicable subject to guidelines and policies of the state government to be framed from time to time."


- प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – Strategic Plan, Methodology & Mechanism के Core Values of the University में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – अनुमोदन किया गया।

–पूरक प्रस्ताव–

- प्रस्ताव क्र. 07 – बी.एस.सी. (गणित) पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान को शामिल करते हुए PPR के संशोधन पर विचार।
निर्णय – मान्य किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 08 – भौतिक शास्त्र विषय के अध्ययन मण्डल की बैठक के लिए गए निर्णय पर विचार।
निर्णय – मान्य किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – अनुमोदित किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 10 – आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संबंधी : अध्यादेश क्र. 1 भाग C के बिन्दु 7 : Conduct के क्रमांक 2 आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की व्यवस्था को जोड़े जाने पर विचार।
निर्णय – “1. विश्वविद्यालय के आंतरिक परीक्षक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक हो सकते हैं।
2. शासकीय महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक।
3. अशासकीय महाविद्यालयों के परिनियम 28 में नियुक्त शिक्षक।
4. विश्वविद्यालय के समन्वयक/कार्यक्रम समन्वयक होने पर विशेष परिस्थिति में आंतरिक परीक्षक हो सकते हैं जो UGC के नियम के अनुसार शिक्षक होने की योग्यता पूर्ण करते हो ऐसी स्थिति में ये आंतरिक परीक्षक के रूप में विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। जो विद्यार्थियों से सीधे संबंधित नहीं रहा हो ऐसे योग्य परीक्षकों को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह एक ही संस्था/महाविद्यालय में कार्यरत हों।”

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण –
 - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
 - 2.5 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.6 प्रो. शोभीत कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 2.7 डॉ. बीना सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.9 डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग, PSSOU
 - 2.10 डॉ. पुष्कर दुबे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यापरिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव